मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड

मुखबिर नीति

(भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम, रेल मंत्रालय)
दूसरी मंजिल, चर्चगेट स्टेशन बिल्डिंग, मुंबई 400020।
दूरभाष. नंबर 22014623 (पी एंड टी) 22648 (आरएलवाई) फैक्स नंबर 22096972

मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि.

मुखबिर नीति

1. प्रस्तावना

1.1 दिनांक 2010 ,मई 14के कार्यालय ज्ञापन संख्या जीएम के माध्यम से -2005/(8)18 ,कॉर्पोरेट शासन पर जारी डीपीई दिशानिर्देश कर्मचारियों को प्रबंधन को रिपोर्ट करनेअनैतिक व्यवहारया कंपनी आचरण या नैतिकता नीति पर सामान्य ,वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी , दिशानिर्देश प्रदान करता है। यह तंत्र का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान कर सकता है और असाधारण मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंच प्रदान कर सकता है।

1.2 मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड (के रूप में संदर्भित होने "कॉर्पोरेशन" यहाँ ,(MRVC अखंडता और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को ,ईमानदारी ,व्यावसायिकता ,के उपरांत अपनाकर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपने मामलो ं के संचालन में विश्वास करता है। कॉर्पोरेशन एक ऐसी संस्कृति विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां सभी कर्मचारियों के लिए किसी भी खराब या अस्वीकार्य अभ्यास और कदाचार की किसी भी घटना के बारे में चिंता व्यक्त करना सुरक्षित हो। तदनुसारकॉर्पोरेशन मुखबिर , नीति अपनाता हैके रूप में "नीति" जिसे यहाँ , संदर्भित किया गया है। नीति का उद्देश्य जिम्मेदार और सुरक्षित मुखबिर को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा प्रदान करना है। यह गंभीर अनियमितताओं / गतिविधियों के बारे में चिंता व्यक्त करने के इच्छुक कर्मचारियों की सुरक्षा करता है जो अनैतिक हैं या कॉर्पोरेशन की आचार संहिता सहित स्थापित प्रथाओं के विपरीत हैं। नीति न तो कर्मचारियों को उनके काम के दौरान गोपनीयता के कर्तव्य से मुक्त करती हैन ही व्यक्तिगत स्थिति के बारे में शिकायत करने के लिए नीति , के अनुसार प्रावधान करती है।

1.3 नीति कर्मचारियों के लिए है जैसा कि यहां बाद में परिभाषित किया गया है। यह नीति तैयार की गई है ताकि कर्मचारी किसी चिंता को उठाने के बारे में आश्वस्त हो सकें।

2. परिभाषाएं

2.1 **'अनुशासनात्मक कार्रवाई'** का अर्थ है कॉर्पोरेशन के अनुशासन और अपील नियम के अंतर्गत कोई भी कार्रवाई जो जांच की कार्यवाही के पूरा होने पर / उसके दौरान की जा सकती है, जिसमें चेतावनी, जुर्माना लगाना, आधिकारिक कर्तव्यों से निलंबन या ऐसी कोई भी कार्रवाई शामिल है जिसे मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित समझा जाए।

2.2 **'कॉर्पोरेशन'** का अर्थ है मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

2.3 **'कर्मचारी'** का अर्थ कॉर्पोरेशन के सेवा (आचरण) नियमों के तहत परिभाषित कॉर्पोरेशन के कर्मचारी से है।

2.4 **'संरक्षित प्रकटीकरण'** का अर्थ है सद्भाव में किए गए लिखित संचार द्वारा उठाई गई चिंता जो ऐसी जानकारी का खुलासा या प्रदर्शन करती है जो अनैतिक या अनुचित गतिविधि का सबूत हो सकती है।

2.5 **'विषय'** का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसके खिलाफ या उसके संबंध में एक संरक्षित खुलासा या एक सबूत एक जांच के दौरान एकत्र किए गए हैं।

2.6 **'मुखबिर (व्हिसलब्लोअर)'** वह है जो इस नीति के तहत संरक्षित प्रकटीकरण करता है।

2.7 **'मुखबिर अधिकारी'** या **'समिति'** का अर्थ है एक अधिकारी या व्यक्तियों की समिति जिसे विस्तृत जांच करने के लिए नामित/नियुक्त किया जाता है।

2.8 नीति के तहत सभी शिकायतें प्राप्त करने और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **'ओम्बड्सपर्सन'**अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होंगे।

3. मार्गदर्शक सिद्धांत

3.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि नीति का पालन किया गया हैऔर यह सुनिश्चित करने के लिए , :कॉर्पोरेशन ,कि चिंता पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी

3.1.1 सुनिश्चित करें कि मुखबिर और/या संरक्षित प्रकटीकरण को संसाधित करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए पीड़ित नहीं है;

3.1.2 ऐसे व्यक्ति/(है) पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने सहित उत्पीड़न को एक गंभीर मामला माने;

3.1.3 पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करें;

3.1.4 संरक्षित प्रकटीकरण के साक्ष्य को छिपाने का प्रयास नहीं करना;

3.1.5 यदि कोई संरक्षित प्रकटीकरण के साक्ष्य को नष्ट कर देता है या छुपाता है उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाना है;

3.1.6 इसमें शामिल व्यक्तियोंविशेष रूप से विषय को सुनने का अवसर प्रदान करें। ,

WHISTLE BLOWER POLICY

4. अयोग्यता

4.1 हालांकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वास्तविक मुखबिर को किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार से पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती हैइस सुरक्षा का कोई ,जैसा कि यहां बताया गया है , भी दुरुपयोग अनुशासनात्मक कार्रवाई का वारंट करेगा।

4.2 इस नीति के तहत सुरक्षा का मतलब यह नहीं होगा कि मुखबिर द्वारा लगाए गए झूठे या फर्जी आरोपों से उत्पन्न होने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई से सुरक्षायह जानते हुए कि यह झूठा या), फर्जी है या दूर्भावपूर्ण से है।

4.3 मुखबिरतुच्छ या ,जो बाद में दुर्भावनापूर्ण ,जो कोई भी संरक्षित प्रकटीकरण करते हैं , नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार ,कॉर्पोरेशन के नियमों ,दुर्भावनापूर्ण पाए गए हैं अनुशासनात्मक कार्रवाईके अधीन होंगे। इसके अलावाइस नीति का उपयोग किसी कर्मचारी , जिसके खिलाफ उसके द्वारा सूचना के किसी भी ,द्वारा बचाव के रूप में नहीं किया जा सकता है प्रकटीकरण से स्वतंत्र और कॉर्पोरेशन के नियमों और नीतियों के तहत वैध कारणों या कारणों से प्रतिकूल कार्रवाई की गई है।

5. "संरक्षित प्रकटीकरण" के लिए प्रक्रिया

5.1 कर्मचारी जल्द से जल्द लोकपाल को संरक्षित प्रकटीकरण कर सकते हैंलेकिन कदाचार के ,

5.2 मुखबिर को शिकायतें केवल डाक से ही भेजनी चाहिए। लिफाफे के ऊपर "संरक्षित प्रकटीकरण: केवल पताकर्ता द्वारा खोला जाना" लिखा होना चाहिए। मुखबिर को लिफाफे पर या पत्र के मुख्य भाग में व्यक्तिगत विवरण देने से बचना चाहिए जो या तो पत्र के शीर्ष पर या पत्र के अंत में दिया जाना चाहिए ताकि इसे आसानी से अवरुद्ध किया जा सके।

5.3 मुखबिर को अपना नाम आरोपों में डालना चाहिए। गुमनाम रूप से व्यक्त की गई चिंताओं पर विचार नहीं किया जाएगा ।

5.4 यदि लोकपाल व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक पूछताछ से संकेत मिलता है कि चिंता का कोई आधार नहीं हैतो इसे इस स्तर पर खारिज किया जा सकता ,या यह इस नीति के तहत जांच का विषय नहीं है , है और निर्णय का दस्तावेजीकरण किया जाता है।

5.5 जहां प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि आगे की जांच आवश्यक हैइसे या तो अकेले , लोकपाल व्यक्ति द्वाराया इस उद्देश्य के लिए लोकपाल व्यक्ति द्वारा नामित एक मुखबिर , अधिकारी/ समिति द्वारा किया जाएगा । जांच निष्पक्ष तरीके सेखोज प्रक्रिया के -निष्पक्ष तथ्य ,

WHISTLE BLOWER POLICY

रूप में और अपराध के अनुमान के बिना आयोजित की जाएगी। निष्कर्षों की एक लिखित रिपोर्ट बनाई जाएगी।

5.6 लोकपाल व्यक्ति / मुखबिर अधिकारी / समिति को इस नीति के तहत जांच करने के उद्देश्य से कॉर्पोरेशन के किसी भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) से किसी भी जानकारी / दस्तावेज और परीक्षा की मांग करने का अधिकार होगाजैसा कि वे उचित समझे। ,

5.7 मुखबिर का नाम मुखबिर अधिकारी/ समिति को नहीं बताया जाएगा।

5.8 लोकपाल/ मुखबिर अधिकारी/ समिति:

i. संरक्षित प्रकटीकरण का विस्तृत लिखित रिकॉर्ड बनाएं। रिकॉर्ड में शामिल होंगे:
   a. मामले के तथ्य;
   b. क्या वही संरक्षित प्रकटीकरण पहले किसी एक द्वारा उठाया गया थाऔर यदि , ;तो इसका क्या परिणाम हुआ ,हां
   c. क्या इसी विषय के खिलाफ पहले कोई संरक्षित प्रकटीकरण उठाया गया था;
   d. वित्तीय/अन्यथा हानि जो कंपनी द्वारा उपगत की गई है/वहन की गई है;
   e. लोकपाल/मुखबिर अधिकारी/ समिति के निष्कर्ष;
   f. अनुशासनात्मक/अन्य कार्रवाइयों पर लोकपाल/मुखबिर अधिकारी/ समिति की सिफारिशें)।

ii. मुखबिर अधिकारी/ समिति नामित/ नियुक्त किए जाने के दिनों के भीतर लोकपाल 15 को रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर प्रस्तुत करेगी।

5.9 रिपोर्ट प्रस्तुत करने परसमिति इस मामले पर लोकपाल के साथ चर्चा करेगी जो /सीटी अधिकारी , :या तो

i. यदि संरक्षित प्रकटीकरण सिद्ध हो जाता है/तो मुखबिर अधिकारी , समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करें और ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई करें जो वह उचित समझे और मामले की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निवारक उपाय करें;

ii. यदि संरक्षित प्रकटीकरण सिद्ध नहीं होता हैया ;तो मामले को समाप्त कर दें ,

iii. मामले की गंभीरता के आधार परलोकपाल व्यक्ति प्रस्तावित अनुशासनात्मक , /कार्रवाई काउंटर उपायों के साथ मामले को निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति को संदर्भित कर सकता है। यदि ऑडिट कमेटी को लगता है कि मामला बहुत गंभीर हैतो , वह अपनी सिफारिशों के साथ मामले को बोर्ड के सामने रख सकती है। बोर्ड जैसा उचित समझे मामले का निर्णय ले सकता है।

5.10 असाधारण मामलों मेंजहां मुखबिर जांच के परिणाम और निर्णय से संतुष्ट , नहीं हैवह लेखा , परीक्षा समिति के अध्यक्ष को सीधे अपील कर सकता है।

6. सुरक्षा

6.1 इस नीति के तहत एक संरक्षित प्रकटीकरण की सूचना देने के आधार पर एक मुखबिर के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा। कॉर्पोरेशन,एक नीति के रूप में , मुखबिर के खिलाफ किसी भी प्रकार के भेदभाव, उत्पीड़नउत्पीड़न या किसी अन्य अनुचित रोजगार प्रथा की निंदा करता है। , /धमकी या सेवा के निलंबन ,मुखबिर को किसी भी अनुचित व्यवहार जैसे प्रतिशोध ,इसलिए निलंबन की धमकीकिसी ,भेदभाव ,पदोन्नति से इनकार ,पदावनति ,अनुशासनात्मक कार्रवाई , पक् ,भी प्रकार के उत्पीड़नषपातपूर्ण व्यवहार या इस तरह की अन्य गतिविधियों के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी। मुखबिर के अपने कर्तव्यों/कार्यों को जारी रखने के अधिकार को बाधित करने के लिए प्राधिकरण का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोगजिसमें आगे संरक्षित प्रकटीकरण , भी शामिल है।

6.2 मुखबिर की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिए।

6.3 उक्त जांच या साक्ष्य प्रस्तुत करने में सहायता करने वाले किसी भी अन्य कर्मचारी को भी उसी सीमा तक संरक्षित किया जाएगा जैसे कि मुखबिर।

7. गोपनीयता/गोपनीयता

7.1 मुखबिर:मुखबिर ऑफिसर और प्रक्रिया में शामिल सभी लोग ,विषय ,

i. मामले की पूर्ण गोपनीयता/गोपनीयता बनाए रखना;
ii. किसी भी अनौपचारिक/ सामाजिक सभाओं/ बैठकों में इस मामले पर चर्चा न करें;
iii. प्रक्रिया और जांच को पूरा करने के उद्देश्य से केवल उस सीमा तक या आवश्यक व्यक्तियों के साथ चर्चा करें;
iv. कागजों को किसी भी समय कहीं भी लावारिस न रखें;
v. इलेक्ट्रॉनिक मेल/फाइलों को पासवर्ड के अंतर्गत रखें;
vi. यदि कोई उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता पाया जाता हैतो उसे ऐसी अनुशासनात्मक , कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा जैसा उचित समझा जाएगा।

8. समाचार प्रेषण

8.1 नीति के तहत प्राप्त शिकायतों की संख्या और उसके परिणामों के साथ एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी।

9. व्याख्या

9.1 जिन शर्तों को इस नीति में परिभाषित नहीं किया गया हैउनका वही अर्थ होगा जो उन्हें , 1956 ,कंपनी अधिनियमऔर/या समय-समय पर इस विषय पर डीपीई दिशानिर्देशों में दिया

गया है।

10. निष्कर्ष

10.1 कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल को किसी भी समय ,चाहे जो भी हो ,बिना कोई कारण बताए , पूरी तरह या आंशिक रूप से नीति में संशोधन या संशोधन करने का अधिकार है।

10.2 इस नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। यह नीति और उसमें संशोधन कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।